फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राज0 सरकार बनाम सविता

किस्म मुकदमा धारा 177 आर.टी.एक्ट मुकदमा न0 04/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादीया सविता की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री संदीप मान एड. ने मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीया की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस अधिवक्ता प्रतिवादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रतिवादीया अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादीया ने वादवर्णित कृषि भूमि का कभी भी स्वरूप नहीं बदला। प्रतिवादीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि के एक भाग का पट्टा बनवाने हेतु पत्रावली नगरपालिका में सूरजगढ़ में विचाराधीन है। इन्मप्रमेंट होल्डिंग के लिए मकान बना रखे है। बाकी कृषि भूमि को कृषि उपयोग में ही लेता रहा है। तथा सम्पर्ण भूमि का संपरिवर्तन करवाने को तैयार है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादीया ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया हो एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन की हो। यह कहना भी गलत है कि राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान किया हो। दावा गलत पेश होने से खारिज योग्य है। वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	

Scanned with Oken Scanner